

**ग्राम पंचायत नगरी कलूण्ड, विकास खण्ड भवारना, जिला काँगड़ा, हिमाचल प्रदेश के
अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों का
अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन**

भाग-एक

1. प्रस्तावना

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत नगरी कलूण्ड, विकास खण्ड भवारना, जिला काँगड़ा के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों का अंकेक्षण हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा निष्पादित किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान, सचिव, तकनीकी सहायक व ग्राम रोजगार सेवक कार्यरत रहे :-

प्रधान:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री नरिन्द्र कुमार	01.04.2022 से 31.03.2024

सचिव :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री संसार चंद	01.04.2022 से 31.03.2024

तकनीकी सहायक :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री पवन गुलेरिया	01/04/22 से 23/08/2022
2.	श्री वेद धीमान	24/08/22 से 04/08/2023
3.	श्री संदीप अवस्थी	05/08/23 से 31/03 2024

ग्राम रोजगार सेवक :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री प्रवीन कुमार	01/04/22 से 31/03/2024

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार :-

ग्राम पंचायत नगरी कलूण्ड के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:-

क्र०सं०	पैरा सं०	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1.	4.1	रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों का मिलान न करने के कारण अन्तशेष में अन्तर पाया जाना	0.02
2.	4.3	ई ग्राम स्वराज (Online) पर लेखों को नियमानुसार संधारण/अद्यतन न करने के कारण हस्तलिखित लेखों के आकड़ों में अंतर पाया जाना	11.97
3.	6	अनुदान राशि का उपयोग हेतु शेष पाया जाना	23.25
4.	7	पंचायत राजस्व का वसूली हेतु शेष पाया जाना	0.82

5.	8.1	आपूर्तिकर्ता से खनन सामग्री बिलों के साथ ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या सप्लीमेंट्री पास (फार्म-एक्स) की प्राप्ति सुनिश्चित न करने के कारण सरकार को रॉयल्टी के रूप राजस्व की संभावित वित्तीय हानि	0.61
6.	8.2	औपचारिकताओं (Codal Formalities) को पूर्ण किए बिना ही स्टॉक/स्टोर का क्रय करना पाया जाना	1.03
7.	8.3	स्थायी व अस्थायी भण्डार का भंडारण पुस्तिकाओं में इन्द्राज न करना	7.57
8.	9	विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु निर्धारित खपत मानदण्डों के दृष्टिगत अपेक्षाकृत अधिक भुगतान का पाया जाना	0.06
9.	10.1	मनरेगा के अंतर्गत निर्माण कार्यों के मस्ट्रोलों का निर्माण एवं सतर्कता कमेटी से सत्यापन न करना और बिना संयुक्त अदायगी आदेश के मस्ट्रोल का भुगतान करना	1.89
10.	11.3	विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि को सरकारी कोष में जमा न करवाना	0.04

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन :-

हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा ग्राम पंचायत नगरी कलूण्ड का अंकेक्षण अवधि 01/04/2018 से 31/03/2019 के लिये किया गया था जिसके अंकेक्षण प्रतिवेदन के शेष पैरों पर की गई कार्रवाई का अवलोकन करने के उपरान्त पैरों की नवीनतम स्थिति निम्नलिखित है:-

अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 01/04/2018 से 31/03/2019 तक

क्र० सं०	पैरा सं०	नवीनतम स्थिति
1	3	निर्णीत। (रोकड़ बही एवं बैंक से भुगतान की पुष्टि उपरांत)

2	4.1	निर्णीत (वित्तीय स्थिति वर्तमान अंकेक्षण में पुनः प्रारूपित)
3	4.2	अनिर्णीत
4	4.3.1	निर्णीत (रोकड़ बहियों का ई ग्राम स्वराज पर पुष्टि उपरांत)
5	4.3.2	निर्णीत (नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण में पुनः प्रारूपित)
6	5	अनिर्णीत
7	5.1	निर्णीत (वर्तमान अंकेक्षण के दौरान विवाह शुल्क की वसूली एवं बैंक में जमा उपरांत)
8	5.2	अनिर्णीत
9	6	निर्णीत (नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण में पुनः प्रारूपित)
10	7	अनिर्णीत
11	8	अनिर्णीत
12	9	अनिर्णीत
13	10(i)	अनिर्णीत
14	10(ii)	अनिर्णीत
15	11	अनिर्णीत
16	12	निर्णीत (नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण में पुनः प्रारूपित)
17	13	निर्णीत (नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण में पुनः प्रारूपित)

भाग - दो

2. वर्तमान अंकेक्षण

ग्राम पंचायत नगरी कलूण्ड, विकास खण्ड भवारना, ज़िला काँगड़ा के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 के लेखों वर्तमान अंकेक्षण श्री दीपक सिंह पठानिया, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 30.04.2024 से 07.05.2024 तक ग्राम पंचायत के कार्यालय में किया गया। आय व्यय की विस्तृत जांच हेतु मास चयन निम्न तालिका के अनुसार स्व: स्त्रोतों की आय तथा पंचायत के कुल व्यय के आधार पर किया गया:-

वित्तीय वर्ष	आय (माह)	व्यय (माह)
2022-23	03/2023	05/2022
2023-24	07/2023	02/2024

अस्वीकरण (Disclaimer): - इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियंत्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

3. अंकेक्षण शुल्क

ग्राम पंचायत के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 के लेखों का अंकेक्षण शुल्क ₹5600/- आंका गया है। अंकेक्षण शुल्क की इस राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट/मल्टीसिटी चैक के माध्यम से निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला - 171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण ज्ञापन संख्या: 09/2024/नगरी कलूण्ड दिनांक 07.05.2024 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 15 दिनांक 07.05.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमानुसार कार्यवाही कर शीघ्र ही शुल्क की अदायगी कर दी जाएगी।

4. वित्तीय स्थिति:-

(क) पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अध्याचना क्रमांक 12/2024 दिनांक 30.04.2024 की अनुपालना में प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 के लेखों की वित्तीय स्थिति का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न परिशिष्ट - "क" और "ख" में दिया गया है:-

1. स्व: स्तः:-

अवधि	अथशेष	प्राप्ति	योग (कालम 2+3)	व्यय	अन्तशेष (कालम 4-5)
1	2	3	4	5	6
2022-23	48317.10	466943.13	515260.23	412905.00	102355.23
2023-24	102355.23	627361.00	729716.23	586480.00	143236.23

2. अनुदान:-

अवधि	अथशेष	प्राप्ति	योग (कालम 2+3)	व्यय	अन्तशेष (कालम 4-5)
1	2	3	4	5	6
2022-23	1831577.10	3900398.35	5731975.45	3208736.77	2523238.68
2023-24	2523238.68	3748407.42	6271646.10	3946748.12	2324897.98

कुल योग (1+2) = 143236.23 + 2324897.98 = **2468134.21**

(ख) बैंक समाधान विवरणी:-

ग्राम पंचायत की दिनांक 31.03.2024 को रोकड़ बही/वित्तीय स्थिति के अन्तशेष **₹24,68,134.21** तथा बैंक खातों/हस्तगत राशि के अन्तशेष **₹24,70,416.81** से सम्बन्धित विवरणी (परिशिष्ट - "ग") निम्नानुसार है: -

क्र०सं०	अनुदान	बैंक	खाता संख्या	बैंक अंत शेष 31.03.2024 को
1	सभा निधि (SF) व 5वां वित्त (5TH STATE)	KCCB नगरी	20081005302	110101.23
2	SDP	हि०ग्र०बैंक चचियाँ	87710100103402	185124.60
3	MPLAD,VKVNY & SDP	हि०ग्र०बैंक चचियाँ	87710100103509	895874.40
4	AAY	हि०ग्र०बैंक चचियाँ	87710100103411	1414.60
5	PMAGY	Canera बैंक बगोड़ा	4609101002660	3893.00
6	PMAGY (PFMS)	Indusind बैंक पालमपुर	100163079179	0.00
7	15वां वित्तायोग / 15FC	Canera बैंक बगोड़ा	4609101002735	1273902.98
	हस्तगत शेष (स्व: स्त्रोत)			106.00
	बैंक खातों व हस्तगत शेष का दिनांक 31.03.2024 का कुल योग :			2470416.81
	दिनांक 31.03.2024 को बैंक समाधान विवरणी :-			
	पंचायत के बैंक खातों व हस्तगत शेष का दिनांक 31.03.2024 का अन्तशेष:-			₹24,70,416.81

	रोकड़ बही के आधार पर तैयार वित्तीय स्थिति के अनुसार पैरा 4(क) अन्तशेष :-	₹24,68,134.21
	अंतर :-	₹2282.60

नोट :- अंतर का कारण पंचायत द्वारा बैंक समाधान विवरणी तैयार न करना

4.1 रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों का मिलान न करने के कारण अन्तशेष में राशि ₹0.02 लाख का अन्तर पाया जाना:-

रोकड़ बहियों के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (3) व 10 (1) के अनुसार पंचायतों को रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य है।

अंकेक्षण के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों में दिनांक 31.03.2024 को उक्त पैरा 4 के अनुसार **₹2,282.60** की राशि का अन्तर पाया गया, जो पंचायत की सच्ची व सही वित्तीय स्थिति नहीं दर्शाता है। पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों के शेषों का बैंक खातों के शेषों से मिलान न करना नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 08/2024/नगरी कलूण्ड दिनांक 07.05.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 14 दिनांक 07.05.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमानुसार रोकड़ बहियों का बैंक शेषों से मिलान कर लिया जाएगा व अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः इस अनियमितता बारे तथ्यपूर्ण स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए नियमानुसार प्रत्येक माह बैंक समाधान विवरणी तैयार करना सुनिश्चित किया जाए व वस्तुस्थिति अनुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

4.2 खाता "क" तथा "ख" को नियमानुसार संधारित न करने बारे: -

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4 (1) के अनुसार नियम 3 में दर्शाई संहिता संख्या 01 से 50 में वर्णित आय पंचायत की अपनी आय के स्त्रोत माने जायेंगे और ऐसी आय के लिये पंचायत निधि खाता-क खोल जाएगा। इसी तरह नियम 3 में दर्शाई संहिता संख्या 51 से 99 में वर्णित आय सहायता अनुदान विशेष प्रयोजनों के लिये आबंटित निधियाँ और प्राप्त ऋण के लिये खाता-"ख" खोल जाएगा। इसके अतिरिक्त निदेशक पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या पी.सी.एच.-एच.ए. (5)सी (15)-(13) (एल) 5-47005-81 दिनांक 15.02.2012 के अनुसार स्कीम वाईज खाते खोले जाने का प्रावधान है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अपनी आय (स्व:-स्त्रोत) के खाते को पृथक नहीं रखा गया था बल्कि स्व:-स्त्रोत में 5वां राज्य वित्त आयोग अनुदान से प्राप्त राशि का आय व्यय सम्मिलित किया गया था। अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचनानुसार स्व:-स्त्रोत व 5वां वित्त का एक ही बैंक खाता संख्या 20081005302 खोला गया था और एस०डी०पी०, वी०के०वी०एन०वाई० व एम०पी०लेड० का भी एक ही बैंक खाता संख्या 87710100103509 व 87710100103402 खोला गया था जोकि वर्णित नियमों एवं निर्देशों के विरुद्ध है जिस कारण स्व:-स्त्रोत, 5वां वित्त, एस०डी०पी०, वी०के०वी०एन०वाई० व एम०पी०लेड० के आरंभिक शेष व अंत शेष की पुष्टि नहीं की जा सकी। यह पंचायत की सच्ची व सही वित्तीय स्थिति नहीं दर्शाता है। इस अनियमितता के कारण किसी व्यय के दो बार भुगतान होने तथा धन के दुर्विनियोजन की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता तथा अनुदान विशेष पर प्राप्त होने वाले ब्याज का भी पता नहीं लगाया जा सकता है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 08/2024/नगरी कलूण्ड दिनांक 07.05.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 14 दिनांक 07.05.2024 द्वारा उत्तर दिया गया कि भविष्य में नियमानुसार खाता "क" व "ख" को पृथक कर लिया जाएगा व कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा 4.3 (2) में दर्ज अंकेक्षणापत्ति के बावजूद इस अनियमितता की पुनरावृत्ति बारे तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये व खाता "क" व "ख" का नियमानुसार रख-रखाव करना सुनिश्चित किया जाए और स्व:-स्त्रोत, 5वां राज्य वित्त आयोग,

एस०डी०पी०, वी०के०वी०एन०वाई० व एम०पी०लेड० आदि अनुदानों का अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत पृथक-2 बैंक खाता खुलवा कर कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

4.3 ई ग्राम स्वराज (Online) पर लेखों को नियमानुसार संधारण/अद्यतन न करने के कारण हस्तलिखित लेखों के आकड़ों में ₹11.97 लाख का अंतर पाया जाना :-

पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में E-Panchayat Mission Project (MPP) प्रारम्भ की गई है, जिसका क्रियान्वयन पंचायती राज विभाग हि०प्र० पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997 के नियम 34 में वर्णित सभी रजिस्ट्रों को कागज रहित प्रणाली के अंतर्गत E-Panchayat में बदलने का कार्य भी पंचायती राज विभाग की प्राथमिकता है।

अंकेक्षण अवधि के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा लेखों का अनुरक्षण हस्तलिखित तथा ई-ग्राम स्वराज (Online) दोनों माध्यम से किया जा रहा था तथा जो लेख ई-ग्राम स्वराज में बनाये जा रहे हैं, बैंक खातों/हस्तलिखित रोकड़ बही से मिलान नहीं खाते। परिणामस्वरूप परस्पर आंकड़ों में ₹11,97,256.88 का बहुत ज्यादा अंतर पाया गया जिसका विवरण परिशिष्ट - " घ " पर संलग्न एवं निम्नलिखित है:-

(क) ई ग्राम स्वराज में दर्ज वार्षिक प्राप्ति/व्यय व हस्तलिखित रोकड़ बही अनुसार वार्षिक प्राप्ति/व्यय में अंतर का विवरण (Except MNREGA)

क्र०सं०	वित्तीय वर्ष	प्राप्ति			भुगतान		
		ई-ग्राम स्वराज अनुसार राशि (₹)	रोकड़ बही अनुसार राशि (₹)	अंतर की राशि (₹)	ई-ग्राम स्वराज अनुसार राशि (₹)	रोकड़ बही अनुसार राशि (₹)	अंतर की राशि (₹)
1	2022-23	2783990.11	2714491.13	69498.98	1855670.42	1968791.42	113121.00
2	2023-24	1311459.00	2648931.00	1337472.00	1928241.00	2806390.70	878149.70

(ख) ई ग्राम स्वराज में दर्शाये गए बैंक शेष व हस्तगत नगद शेष तथा बैंक पास बुक अनुसार अंतशेष व हस्तगत नगद शेष में अंतर का विवरण (Except MNREGA)

क्र०सं०	वित्तीय वर्ष	ई-ग्राम स्वराज अनुसार बैंक शेष व हस्तगत नगद शेष	बैंक पास बुक अनुसार बैंक शेष व हस्तगत नगद शेष	अंतर
1	2023-24	3667473.69 + 200 (हस्तगत नगद) = 3667273.69	2470310.81 + 106 (हस्तगत नगद) = 2470416.81	₹ 11,97,256.88

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 08/2024/नगरी कलूण्ड दिनांक 07.05.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 14 दिनांक 07.05.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमानुसार रोकड़ बहियों का संधारण ई ग्राम स्वराज पर कर लिया जाएगा व अंतर का मिलान करने उपरांत अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः अन्तर के कारणों बारे तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए तदनुसार कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

4.4 लेखा खाता/खाता बही तैयार न करना: -

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 (1 से 3) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को प्रारूप 7 में लेखा खाता/खाता बही तैयार करने का प्रावधान है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि की खाता बहियाँ/लेखा खाते तैयार नहीं किए गए थे। अंकेक्षण अवधि की खाता बहियाँ/ लेखा खाते तैयार न करने कारण वर्तमान अंकेक्षण के दौरान इस तथ्य की पुष्टि सम्भव न हो सकी कि किस-किस कार्य हेतु कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई व किस-किस कार्य पर कितना-कितना व्यय हुआ व कितनी राशि शेष थी।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 08/2024/नगरी कलूण्ड दिनांक 07.05.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 14 दिनांक 07.05.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि लेखा खाता बही असंधारित है व भविष्य में नियमानुसार संधारण कर लिया जाएगा। प्रस्तुत उत्तर तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अतः इस अनियमितता बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा वित्तीय वर्ष 2022-23 व 2023-24 की अवधि की खाता बहियाँ /लेखा खाते तैयार करते हुए भविष्य में भी खाता बहियाँ /लेखा खाते तैयार किए जाने सुनिश्चित किए जायें व कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

4.5 बजट प्राक्कलन तैयार न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा प्रारूप -11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा में पारित करना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान पंचायत का बजट प्राक्कलन नियमानुसार तैयार नहीं किया गया था अपितु कार्यवाही रजिस्टर में तैयार एवं पारित किया गया था। सचिव द्वारा निर्धारित प्रारूप -11 पर बजट प्राक्कलन तैयार/ अनुमोदित न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन को निर्धारित प्रारूप -11 के अनुसार तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

5. निवेश

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 11 के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों को पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव उपरान्त राष्ट्रीकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में इस प्रकार से निवेशित किया जाना अपेक्षित है, ताकि इन पर अधिकतम ब्याज अर्जित किया जा सके।

ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना में अंकेक्षण अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के दौरान किसी भी राशि को सावधि जमा में निवेशित नहीं किया गया था। जबकि वित्तीय स्थिति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पंचायत के पास प्रतिवर्ष स्वः-स्त्रोत में कृत व्यय

की तुलना में अतिरिक्त शेष उपलब्ध था। इस चूक के कारण संसाधनों की कमी से जूझ रही पंचायत को अतिरिक्त ब्याज के रूप में होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 08/2024/नगरी कलूण्ड दिनांक 07.05.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 14 दिनांक 07.05.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमों की जानकारी के अभाव में निवेश नहीं किया गया था। भविष्य में नियमानुसार सावधि निवेश कर लिया जाएगा व आगामी अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करके कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

6. अनुदान राशि ₹23.25 लाख का उपयोग हेतु शेष पाया जाना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 के अनुसार पंचायत द्वारा विभिन्न अनुदानों को फंडिंग एजेंसी के दिशा-निर्देशों अनुसार व्यय किया जाना अपेक्षित है।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक 12/2024 दिनांक 30.04.2024 की अनुपालना में प्रस्तुत सूचना जोकि परिशिष्ट - " क " व परिशिष्ट - " ख " पर संलग्न है, के अनुसार दिनांक 31.03.2024 तक अनुदान में प्राप्त राशियों में से ₹23,24,897.98 की राशि उपयोग हेतु शेष थी जिससे स्पष्ट है कि विभिन्न अनुदान शीर्षों के अंतर्गत करवाये जा रहे विकास कार्यों का निष्पादन अपेक्षित स्थिति में नहीं है तथा सरकार द्वारा निर्धारित विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में यह पंचायत पीछे है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 08/2024/नगरी कलूण्ड दिनांक 07.05.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 14 दिनांक 07.05.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अनुदान राशि का उपयोग कर लिया जाएगा।

अतः शेष अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इसके व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी को स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बन्धित संस्था को किया

जाना सुनिश्चित किया जाए तथा तदनुसार कृत अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

7. पंचायत राजस्व संपत्ति कर / गृहकर राशि ₹0.82 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 34(2) के अनुसार पंचायत को देय कोई भी रकम पर्याप्त कारणों के बिना परादेय (outstanding) नहीं रखी जायेगी।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि संपत्ति कर / गृहकर मांग व संग्रहण पंजिका का संधारण नहीं किया गया था। पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 01/2024/नगरी कलूण्ड दिनांक 30.04.2024 की अनुपालना में पत्र क्रमांक 07 दिनांक 30.04.2024 द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार पंचायत ने अपने अधिकार क्षेत्र में ₹50/- प्रति वर्ष की दर से गृह कर आरोपित किया था एवं राशि ₹81,510.00 के पंचायत राजस्व की वसूली दिनांक 31.03.24 को शेष थी जिसका विस्तृत विवरण परिशिष्ट - " ड " पर संलग्न है। संपत्ति कर / गृहकर से सम्बन्धित मांग व संग्रहण पंजिका अपूर्ण थी जिससे कि लम्बित गृह कर तथा वसूली का पूर्ण पता नहीं लगाया जा सका। संपत्ति कर / गृहकर की नियमित वसूली न करने से उस पर अर्जित ब्याज से होने वाले लाभ से भी पंचायत को वंचित होना पड़ा।

वसूली हेतु शेष संपत्ति कर / गृहकर राशि का विवरण :-

अवधि	अथशेष	कुल परिवार	गृहकर वार्षिक दर	मांग	योग (कालम 2+5)	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि (कालम 6-7)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2022-23	₹ 47,050.00	625	₹ 50.00	₹ 31,250.00	₹ 78,300.00	₹ 2,350.00	₹ 75,950.00
2023-24	₹ 75,950.00	630	₹ 50.00	₹ 31,500.00	₹ 1,07,450.00	₹ 25,940.00	₹ 81,510.00

उक्त तथ्यों एवं आंकड़ों से स्पष्ट है कि पंचायत अपने राजस्व की नियमित उगाही के प्रति गम्भीर नहीं है और यदि पंचायत राजस्व की बकाया राशि में इसी गति से वृद्धि होती रही तो किसी समय पर इसे वसूल कर पाना असम्भव हो जाएगा।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 08/2024/नगरी कलूण्ड दिनांक 07.05.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 14 दिनांक 07.05.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि गृहकर रजिस्टर का संधारण कर लिया जाएगा व गृहकर की शीघ्र वसूली करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः पंचायत राजस्व किन कारणों से परादेय (outstanding) रहा, की तथ्यपूर्ण स्थिति स्पष्ट करते हुये लम्बित करें एवं बकाया पंचायत राजस्व राशियों की शीघ्र वसूली हेतु नियमानुसार संपत्ति कर / गृहकर से सम्बन्धित मांग व संग्रहण पंजिका का संधारण कर प्राथमिकता के आधार पर करते हुये अपेक्षित सुधारात्मक कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाये तथा अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8. व्यय

8.1 आपूर्तिकर्ता से खनन सामग्री बिलों के साथ ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या सप्लीमेंट्री पास (फार्म-एक्स) की प्राप्ति सुनिश्चित न करने के कारण सरकार को रॉयल्टी के रूप में राशि ₹0.61 लाख के राजस्व की संभावित वित्तीय हानि :-

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स नियम, 2015 के नियम 81 व 81 ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या सप्लीमेंट्री पास (फार्म-एक्स) उपलब्ध करवाना अनिवार्य है अन्यथा उक्त नियम की द्वितीय अनुसूची के अनुसार निम्न दरों से रॉयल्टी का भुगतान 25% पेनल्टी सहित करना होगा।

अंकेक्षण के दौरान ग्राम पंचायत द्वारा चयनित माह 05/2022 व 02/2024 में रेत, बजरी, पत्थर की खरीद की गई परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा आपूर्तिकर्ता के खनन सामग्री जैसे रेत, बजरी, पत्थर इत्यादि की आपूर्ति के सम्बन्ध में उक्त ट्रांजिट पास अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गए। परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ताओं को परिशिष्ट - "च" पर संलग्न विवरणानुसार ₹61,379.00 का संभावित अनियमित भुगतान किया गया प्रतीत होता है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 08/2024/नगरी कलूण्ड दिनांक 07.05.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी

अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 14 दिनांक 07.05.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि शीघ्र ही नियमानुसार आपूर्तिकर्ता से वसूली कर ली जाएगी।

अतः राशि **₹61,379.00** के अनियमित भुगतान को या तो नियमानुसार समर्थित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अथवा इस संबंध में संबंधित विभाग से संपर्क/पत्राचार कर तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये अन्यथा अंकेक्षण को दिये आश्वासनानुसार इसकी वसूली उचित स्रोत से करके हि. प्र. सरकार के आय लेखा शीर्षक "0853-Non ferrous mining and Metallurgical Industries, 102-Mineral Concession fees and Royalties, 81-Other receipts" में जमा करवाया जाए। इसके अतिरिक्त यहाँ पर यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अंकेक्षण द्वारा केवल चयनित माह के भुगतानों को रॉयल्टी के लिये जांचा गया है। शेष अवधि में हुए ऐसे भुगतानों की जांच अपने स्तर पर करके वस्तुस्थिति एवं नियमानुसार देय रॉयल्टी की वसूली करना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8.2 औपचारिकताओं (Codal Formalities) को पूर्ण किए बिना ही ₹1.03 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करना:-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4), 67(5), 69 एवं 70 स्टॉक/स्टोर का क्रय, भंडारण एवं जारी करने की औपचारिकताओं तथा निविदायें (Quotations) आमंत्रित करना, मांग, अनुबंध सूची, आपूर्ति आदेश इत्यादि प्रावधित हैं।

अंकेक्षण के दौरान चयनित माह 05/2022 व 02/2024 के व्यय वाउचरों के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा राशि **₹ 1,03,375.00** के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया था, जिसका पूर्ण विवरण परिशिष्ट " छ " में दिया गया है परिणाम स्वरूप बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ नहीं उठाया गया प्रतीत होता है जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित एवं आपत्तिजनक है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 08/2024/नगरी कलूण्ड दिनांक 07.05.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 14 दिनांक 07.05.2024 द्वारा बताया गया कि समय के अभाव तथा कार्य की आकस्मिकता के कारण उस समय निविदायें नहीं ली जा सकी व अब

नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। प्रस्तुत उत्तर तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अतः दृष्टांत मामलों में बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ न उठाने के तथ्यपूर्ण कारणों से अवगत करवाते हुये इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाने उपरान्त ही स्टॉक/स्टोर का क्रय,भंडारण एवं निर्गम किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

8.3 स्थायी व अस्थायी भण्डार ₹7.57 लाख का भंडारण पुस्तिकाओं में इन्द्राज न करना

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 72(1) (ए, बी, सी व डी) के अनुसार पंचायत द्वारा क्रय की गए भंडार का उसकी स्थायी व अस्थायी प्रकृति के अनुरूप प्रारूप 25 से 28 में लेखांकन किया जाना है।

अंकेक्षण के दौरान चयनित माह 05/2022 व 02/2024 के वाउचरों के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा ₹7,56,573.81 के भण्डार को भंडार पुस्तकों में दर्ज नहीं किया गया था, जिसका विस्तृत विवरण परिशिष्ट “ ज” में दिया गया है त्रुटिपूर्ण लेखांकन प्रक्रिया के चलते किसी भी स्तर पर सामग्री एवं धन के रिसन (Leakage) व दुरुपयोग की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित एवं आपत्तिजनक है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 08/2024/नगरी कलूण्ड दिनांक 07.05.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 14 दिनांक 07.05.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया समय के अभाव के कारण स्टॉक/स्टोर का स्टॉक रजिस्टर में लेखांकन नहीं किया गया है व इसे लेखांकित कर आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जायेगा। प्रस्तुत प्रतिउत्तर तथ्य रहित होने के कारण तर्कसंगत नहीं है।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत क्रय किये गये प्रत्येक सामान का नियमानुसार इन्द्राज किया जाना सुनिश्चित किया जाए व भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता की पुनरावृत्ति को रोका जाये तथा कृत सुधारात्मक कार्यवाही से अंकेक्षण को यथाशीघ्र अवगत करवाया जाये।

8.4 बिल / वाउचरों के भुगतान हेतु पारित आदेश सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूरा न करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 49(1) में पंचायत द्वारा भुगतान आदेश जारी करने सम्बन्धी औपचारिकताएं प्रावधित हैं।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के चयनित माह 05/2022 व 02/2024 के दौरान बिलों के भुगतान हेतु उपरोक्त नियम की औपचारिकताओं को पूरा नहीं किया गया था जिनमें से चयनित माह के व्यय का विवरण निम्न दिया गया है:-

क्र०स०	वर्ष	चयनित माह	चयनित माह में पारित बिलों की कुल राशि (₹)
1.	2022-23	05/2022	7,91,108.15.00
2.	2023-24	02/2024	8,23,003.00

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 08/2024/नगरी कलूण्ड दिनांक 07.05.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 14 दिनांक 07.05.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस त्रुटि को भविष्य में नहीं दोहराया जाएगा।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत समस्त भुगतान बिलों की अदायगी हेतु उपरोक्त नियम की औपचारिकताओं को पूरा करना सुनिश्चित किया जाए तथा सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

9. विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु निर्धारित खपत मानदण्डों के दृष्टिगत राशि ₹0.06 लाख का अपेक्षाकृत अधिक भुगतान बारे

9.1 निर्माण कार्य चेक डैम वार्ड नं 3 तक राशि ₹0.02 लाख का अपेक्षाकृत अधिक/अनियमित भुगतान बारे :-

निर्माण कार्य चेक डैम वार्ड नं 3 का संबंधित प्राक्कलन व माप पुस्तिका के अंकेक्षण पर पाया गया कि माप पुस्तिका में निर्माण सामग्री रेत की निष्पादित मात्रा का उपयोग निर्धारित मापदंडों के अनुसार निष्पादन योग्य मात्रा से अधिक दर्शाया गया था, जिसके कारण निर्माण

सामग्री रेत के क्रय हेतु राशि **₹1724.00** का अधिक भुगतान किया गया था, जिसका विवरण **परिशिष्ट - " झ " पर संलग्न एवं निम्नलिखित है:-**

कार्य का नाम :		निर्माण कार्य चेक डैम वार्ड नं 3					
कार्य परिसंपत्ति संख्या:		1304002080/WC/8000103393					
अनुदान :		मनरेगा					
कुल व्यय राशि :		1,11,401.20					
एम० बी० संख्या / पृष्ठ संख्या		12441 / 91 से 92					
बिल संख्या/दिनांक		001 / 02.04.2022					
आपूर्तिकर्ता		अर्जुन चंद					
वाउचर संख्या/दिनांक		Nil / 21.05.2022					
क्र०	सामग्री का नाम	क्रय की गई सामग्री	मापन पुस्तिका अनुसार निष्पादित सामग्री की मात्रा	निर्धारित मापदंडों के अनुसार निष्पादन योग्य सामग्री की मात्रा	अन्तर	दर	राशि (₹)
1.	रेत	280 cft	280 cft	241.69 cft	38.31 cft	₹45.00	₹1724.00

$$PL\ CC\ (1:3:6)\ 14.56\ M^3 = 14.56 \times 16.60\ (Sand\ Factor) = 241.69\ cft$$

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 06/2024/नगरी कलूण्ड दिनांक 06.05.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 12 दिनांक 07.05.2024 द्वारा अंकेक्षण को बताया गया कि इस प्रकार की त्रुटि को भविष्य में नहीं दोहराया जाएगा व नियमानुसार कार्यवाही कर अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत उक्त निर्माण कार्य में पाई गई त्रुटि व किये गए अधिक भुगतान को आगामी उच्च तकनीकी अधिकारी की जांच एवं सत्यापना सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा वस्तुस्थिति, नियमानुसार देय उक्त राशि की वसूली उचित स्रोत से करके अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

9.2 निर्माण कार्य नाली राजकीय प्राथमिक पाठशाला कलूण्ड हेतु राशि ₹0.05 लाख का अपेक्षाकृत अधिक/अनियमित भुगतान: -

निर्माण कार्य नाली राजकीय प्राथमिक पाठशाला कलूण्ड का संबंधित प्राक्कलन व माप पुस्तिका के अंकेक्षण पर पाया गया कि माप पुस्तिका में निर्माण सामग्री रेत, बजरी व सीमेंट की

निष्पादित मात्रा को निर्धारित मापदंडों के अनुसार निष्पादन योग्य मात्रा से अधिक दर्शाया गया था, जिसके कारण निर्माण सामग्री रेत, बजरी व सीमेंट के क्रय हेतु राशि **₹4657.35** का अधिक भुगतान किया गया था, जिसका विवरण परिशिष्ट - " ज " पर संलग्न एवं निम्नलिखित है:-

कार्य का नाम :		निर्माण कार्य नाली राजकीय प्राथमिक पाठशाला कलूण्ड					
कार्य परिसंपत्ति संख्या:		1304002080/CA/52982					
अनुदान :		मनरेगा					
कुल व्यय राशि :		₹46,630.86					
एम० बी० संख्या / पृष्ठ संख्या		12441 / 60 से 61					
बिल संख्या/दिनांक		010 / 10.04.2022 (बजरी) 011 / 10.04.2022 (रेत) 010261 / 10.04.2022 (सीमेंट)					
आपूर्तिकर्ता		अर्जुन चंद व HPCSCS शिमला					
वाउचर संख्या/दिनांक		Nil / 21.05.2022					
क्र० सं०	सामग्री का नाम	क्रय की गयी सामग्री	मापन पुस्तिका अनुसार निष्पादित सामग्री की मात्रा	निर्धारित मापदण्डों अनुसार निष्पादन योग्य सामग्री की मात्रा	अन्तर	दर	राशि (₹)
1.	रेत	160 cft	160 cft	134 cft	26 cft	₹45.00	₹1170.00
2.	बजरी	300 cft	300 cft	254 cft	46 cft	₹40.00	₹1840.00
3.	सीमेंट	38 बैग	38 बैग	33 बैग	05 बैग	₹329.47	₹1647.35
कुल योग							₹ 4657.35

PL CC (1:4:8) $2.85M^3 = 2.85 \times 0.47 \times 35.31$ (Sand Factor) = 47.29cft

PL CC (1:3:6) $5.22M^3 = 5.22 \times 0.47 \times 35.31$ (Sand Factor) = 86.62cft

Total (Round Off) = 134 cft

PL CC (1:4:8) $2.85M^3 = 2.85 \times 0.89 \times 35.31$ (Bajri Factor) = 89.56cft

PL CC (1:3:6) $5.22M^3 = 5.22 \times 0.89 \times 35.31$ (Bajri Factor) = 164.04cft

Total (Round Off) = 254 cft

PL CC (1:4:8) $2.85M^3 = 2.85 \times 3.40$ (Cement Factor) = 9.69 bag

PL CC (1:3:6) $5.22M^3 = 5.22 \times 4.40$ (Cement Factor) = 22.96 bag

Total (Round Off) = 33 bag

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 07/2024/नगरी कलूण्ड दिनांक 07.05.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 13 दिनांक 07.05.2024 द्वारा अंकेक्षण को बताया गया कि इस प्रकार की त्रुटि को भविष्य में नहीं दोहराया जाएगा व नियमानुसार कार्यवाही कर अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत उक्त निर्माण कार्य में पाई गई त्रुटि व किये गए अधिक भुगतान को आगामी उच्च तकनीकी अधिकारी की जांच एवं सत्यापन सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा वस्तुस्थिति, नियमानुसार देय उक्त राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करके अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

10. मस्ट्रोल को जारी करने तथा उसके अभिलेखन व अनुरक्षण करने में प्रतिपादित नियमों की अवहेलना बारे :-

10.1 मनरेगा के अंतर्गत निर्माण कार्यों के राशि ₹1.89 लाख के मस्ट्रोलों का निर्माण एवं सतर्कता कमेटी से सत्यापन न करना और बिना संयुक्त अदायगी आदेश के मस्ट्रोल का भुगतान करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 102(1 से 7) में मस्ट्रोल को जारी करने सम्बन्धी औपचारिकताएं प्रावधित हैं, नियम 93(1) तथा 108 के अनुसार मस्ट्रोल का सहभागी कमेटी व सतर्कता कमेटी से सत्यापन करवाना प्रावधित है व नियम 49(1) में पंचायत द्वारा भुगतान आदेश जारी करने सम्बन्धी औपचारिकताएं प्रावधित हैं।

अंकेक्षण के दौरान विभिन्न निर्माण कार्यों से संबंधित मस्ट्रोलों के अंकेक्षण पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा राशि **₹1,89,173.00** का भुगतान उपरोक्त वर्णित नियमों की अवहेलना के उपरांत किया गया था, जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट - " ट "** पर संलग्न है :-

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 08/2024/नगरी कलूण्ड दिनांक 07.05.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 14 दिनांक 07.05.2024 द्वारा अंकेक्षण को बताया गया कि मस्ट्रोल का सहभागी कमेटी व सतर्कता कमेटी से सत्यापन कर और संयुक्त अदायगी आदेश के साथ ही मस्ट्रोल का भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत विभिन्न निर्माण कार्यों के मस्ट्रोल में पाई गई त्रुटि व किये गए भुगतान को उच्च तकनीकी अधिकारियों की जाँच एवं सत्यापन सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाए व भविष्य में उपरोक्त वर्णित नियमों की पूर्णतः पालना सुनिश्चित की जाये तथा कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

11. विविध अनियमितताएं :-

11.1 हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 104(2)(1) व 105 के अनुसार निर्माण कार्यों की नमूना जाँच, माप पुस्तिका में सम्बन्धित विभागीय उच्च तकनीकी अधिकारियों जैसे कनिष्ठ अभियन्ता, सहायक अभियन्ता द्वारा किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा मनरेगा के अंतर्गत करवाए गए कार्यों के मूल्यांकनों की माप पुस्तिकाएं तकनीकी सहायक द्वारा लिखी गई थीं परन्तु माप पुस्तिका में नियमानुसार किसी भी सम्बन्धित विभागीय उच्च तकनीकी अधिकारियों द्वारा प्रविष्टियों का सत्यापन व परीक्षण जाँच नहीं किया गया था, जबकि नियम 101 (ग) के अनुसार तकनीकी सहायकों की माप पुस्तिकाओं को कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित करना अपेक्षित है, जिसकी अनुपालना ग्राम पंचायत द्वारा नहीं की जा रही थी, जिसका औचित्य स्पष्ट करते हुए कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें।

11.2 विवाह पंजीकरण शुल्क ₹0.01 लाख की वसूली बारे :-

संयुक्त निदेशक, पंचायती राज विभाग, हि०प्र० के पत्र संख्या: PCH-HA(1)8/2013-Marriage-8017-8106 दिनांक 28.10.16 व सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला की अधिसूचना संख्या: SJE-A-A(3)-1/2015 दिनांक 04.10.16 के अन्तर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹200/- प्रति पंजीकरण तथा विलम्ब के लिए ₹400/- अर्थात् दोगुनी दर से पंजीकरण शुल्क प्राप्त किया जाना निर्धारित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में **₹1400.00** की वसूली नहीं की गई थी, अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 04/2024/नगरी कलूण्ड दिनांक 02.05.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 11 दिनांक 07.05.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि वर्तमान अंकेक्षण के दौरान वसूली कर ली गई है व प्राप्त राशि को

सभा निधि खाता बैंक संख्या 20081005302 में जमा करवा दिया गया है, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है:-

क्र०सं०	आवेदनकर्ता	विवाह की तिथि	पंजीकरण तिथि	रसीद संख्या	दिनांक	वसूली गई राशि
1	श्री सुनील कुमार	20.04.2022	23.05.2022	0484607	04.05.2024	₹ 200.00
2	श्री संजीव कुमार	11.05.2022	26.05.2022	0484608	04.05.2024	₹ 200.00
3	श्री राकेश कुमार	16.05.2022	11.06.2022	0484609	04.05.2024	₹ 200.00
4	श्री वरुण कुमार शर्मा	08.12.2022	10.01.2023	0484610	04.05.2024	₹ 200.00
5	श्री साहिल कुमार	11.05.2023	16.05.2023	0484611	04.05.2024	₹ 200.00
6	श्री महेश कुमार	07.06.2023	27.07.2023	0484612	04.05.2024	₹ 200.00
7	श्री अभिषेक	20.01.2024	14.02.2024	0484613	04.05.2024	₹ 200.00
					कुल योग	₹ 1,400.00

अंकेक्षण के दौरान उक्त वसूली से संबंधित रसीदों एवं बैंक पास बुक की पुष्टि कर ली गई है। अतः परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि न दोहराई जाये और विवाह पंजीकरण के समय ही शुल्क वसूली सुनिश्चित की जाये।

11.3 विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि ₹0.04 लाख को सरकारी कोष में जमा न करवाने बारे :-

सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला की अधिसूचना संख्या: SJE-A-A(3)-1/2015 दिनांक 04.10.16 के अन्तर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹200/- प्रति पंजीकरण तथा विलम्ब के लिए ₹400/- अर्थात् दोगुनी दर से पंजीकरण शुल्क प्राप्त की जानी निर्धारित है, जिसे समय-समय पर वसूल करने के उपरांत विवाह पंजीकरण नियम 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित प्राप्ति मुख्य शीर्ष खाता संख्या "0235-00-800-03" में जमा करवाया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2022-23 व 2023-24 के दौरान विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई कुल राशि **₹3600.00** को सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया गया था। अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 04/2024/नगरी कलूण्ड दिनांक 02.05.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 11 दिनांक 07.05.2024 द्वारा

अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमों की जानकारी के अभाव में उक्त राशि को सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया गया व जल्द ही नियमानुसार प्राप्त विवाह पंजीकरण शुल्क को सरकारी कोष में जमा करवा दिया जाएगा।

अतः प्राप्त विवाह पंजीकरण शुल्क की राशि को सरकारी कोष में जमा न करवाने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अथवा अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत विवाह पंजीकरण शुल्क को सरकारी कोष में जमा करवा कर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये व भविष्य में नियमित रूप से प्राप्त विवाह पंजीकरण शुल्क को सरकारी कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

12. नियमों की अवहेलना करते हुए महत्वपूर्ण अभिलेख का अनुरक्षण न करना :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 व हि०प्र० पंचायती राज (सामान्य) नियमावली, 1997 के नियम 34 के अंतर्गत प्रावधित महत्वपूर्ण अभिलेख/रजिस्ट्रों का अनुरक्षण किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्ट्रों/अभिलेखों का रख-रखाव नहीं किया गया था, लेखांकन प्रक्रिया के अधूरे एवं त्रुटिपूर्ण होने के परिणाम स्वरूप किसी भी स्तर पर सामग्री एवं धन के दुरुपयोग की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है:-

क्र०	रजिस्टर/अभिलेख	संदर्भित नियम	फॉर्म संख्या
1.	विनिधानों के लिए रजिस्टर	12	01
2.	मासिक बैंक समाधान विवरणी	15 (1)	----
3.	वर्गीकृत सार	29 (4)	8
4.	अस्थाई अग्रीमों का रजिस्टर	30	09
5.	तकनीकी जांच पड़तालों और तकनीकी मंजूरी आंकलन का रजिस्टर	95(1)	31
6.	बजट प्राक्कलन	37	11

7.	अनुदान रजिस्टर	61 (1)	21
8.	निर्माण कार्य रजिस्टर	103	-----

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 02/2024/नगरी कलूण्ड दिनांक 01.05.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 08 दिनांक 01.05.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि उक्त सभी रजिस्ट्रों को भविष्य में संधारित कर लिया जाएगा व इस विषय पर कार्यवाही करके आगामी अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत प्राथमिकता के आधार पर सभी रजिस्ट्रों को नियमानुसार संधारित करना सुनिश्चित करके कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

13. भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना :-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन अंकेक्षण अवधि में एक बार भी नहीं किया गया था, जिसके बिना वाउचर/बिल विशेष के तहत खरीदी गई सामग्री की भौतिक रूप में उपलब्धता एवं उसकी वर्तमान स्थिति का पता नहीं लगाया जा सकता।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 08/2024/नगरी कलूण्ड दिनांक 07.05.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 14 दिनांक 07.05.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि भविष्य में नियमित रूप से भौतिक सत्यापन करवा लिया जायेगा। प्रस्तुत उत्तर तथ्य रहित होने के कारण तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा 13 में दर्ज अंकेक्षणापत्ति के उपरान्त भी कोई सुधारात्मक कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई थी। गत अवधि में क्रय किये सामान के भौतिक सत्यापन के अभाव में उसके दुरुपयोग की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

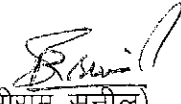
अतः अंकेक्षण को दिये गये आश्वासन के दृष्टिगत मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

14. **लघु-आपत्ति विवरणिका :-** लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया है यह संस्था को अलग से जारी नहीं की गई है।
15. **निष्कर्ष :-** हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियमों एवं समय-समय पर जारी निर्देशों की पूर्णतः अनुपालना नहीं की जा रही जिस कारण से लेखों के रख-रखाव में सुधार हेतु कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है।

16 AUG 2024

का०/प्रति

4029-4033


(श्रीराम सुनील)

सहायक निदेशक,

हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग,

शिमला-171009

दूरभाष-0177-2620046

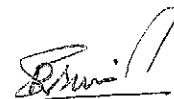
पृष्ठांकन संख्या: फिन(एल०ए०)एच(पंच)(xv)(2)254/2019-खण्ड-1 दिनांक, शिमला-09,

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि०प्र०, कुसुम्पटी शिमला-171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सभी सम्बन्धित को एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
- 2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि०प्र० विधानसभा शिमला-4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
- 3 जिला पंचायत अधिकारी काँगड़ा, जिला काँगड़ा, हि०प्र०।
- 4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड भवारना, जिला काँगड़ा (हि०प्र०)।
- 5 पंजीकृत सचिव, ग्राम पंचायत नगरी कलूण्ड, विकास खण्ड भवारना, जिला काँगड़ा (हि०प्र०) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

15 AUG 2024

का०/प्रति


(श्रीराम सुनील)

सहायक निदेशक,

हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग,

शिमला-171009

दूरभाष-0177-2620046

(परिशिष्ट " क " पैरा संख्या " 4 क " के संदर्भ में)

ANNEXURE -1

FINANCIAL POSITION OF GP NAGRI KALOOND FOR THE YEAR 2022-23 & 2023-24

1 OWN SOURCES

YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2022-23	48317.10	466943.13	515260.23	412905.00	102355.23
2023-24	102355.23	627361.00	729716.23	586480.00	143236.23

2 GRANTS-IN-AID

YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2022-23	1831577.10	3900398.35	5731975.45	3208736.77	2523238.68
2023-24	2523238.68	3748407.42	6271646.10	3946748.12	2324897.98

विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत नगरी कालून्ड
विकास खण्ड नगरी (पिन-201001)

ANNEXURE -2

FINANCIAL POSITION OF GRANTS- IN- AID OF GP NAGRI KALOOND FOR THE YEAR 2022-23 & 2023-24

SR.NO	PARTICULARS	YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
1	SDP, VKVNY & MPLAD	2022-23	430024.00	1262099.00	1692123.00	749213.60	942909.40
		2023-24	942909.40	1401013.00	2343922.40	1287804.00	1056118.40
2	AAY	2022-23	1423.10	40.00	1463.10	70.80	1392.30
		2023-24	1392.30	40.00	1432.30	17.70	1414.60
3	PMAGY	2022-23	59776.00	816.00	60592.00	56810.00	3782.00
		2023-24	3782.00	358198.00	361980.00	358087.00	3893.00
4	15TH FC	2022-23	1340354.00	984593.00	2324947.00	749792.02	1575154.98
		2023-24	1575154.98	262319.00	1837473.98	574002.00	1263471.98
5	MNREGA	2022-23	0.00	1652850.35	1652850.35	1652850.35	0.00
		2023-24	0.00	1726837.42	1726837.42	1726837.42	0.00


 अधिकारी का हस्ताक्षर
 ग्राम पंचायत नगरी कालोन्द
 जिला नगरपालिका, जयपुर 302002

(परिशिष्ट "ग" "पैरा संख्या " ५ ख " के संदर्भ में)

कार्यालय ग्राम पंचायत नगरी कलूण्ड, वि०ख० भवारना, जिला कांगड़ा हि०प्र० 176059

ग्राम पंचायत नगरी कलूण्ड के दिनांक 31.03.2024 को बैंक शेष व रोकड़ बही में अंतर :-

क्र०सं०	शीर्ष	बैंक	खाता सं०	बैंक अंत शेष 31.03.2024	रोकड़ बही अंत शेष 31.03.2024
1	सभा निधि (SF) व 5वां वित्त (5TH STATE)	KCCB नगरी	20081005302	110101.23	143236.23
2	MPLAD,VKVNY & SDP	हि०ग्र० बैंक चचियाँ	87710100103402	185124.60	1056118.40
3		हि०ग्र० बैंक चचियाँ	87710100103509	895874.40	
4	AAV	हि०ग्र० बैंक चचियाँ	87710100103411	1414.60	1414.60
5	PMAGY	Canera बैंक बगोड़ा	4609101002660	3893.00	3893.00
6	PMAGY (PFMS)	Indusind बैंक पालमपुर	100163079179	0.00	0.00
7	15वां वित्तयोग / 15FC	Canera बैंक बगोड़ा	4609101002735	1273902.98	1263471.98
			जोड़ (क)	2470310.81	2468134.21
			हस्तगत शेष (ख)	106.00	0.00
			कुल जोड़ (क + ख)	2470416.81	2468134.21

दिनांक 31.03.2024 को बैंक समाधान विवरणी :-

पंचायत के बैंक खातों व हस्तगत शेष का दिनांक 31.03.2024 का अन्तशेष:-	2470416.81
रोकड़ बही के आधार पर तैयार वित्तीय स्थिति के अनुसार पैरा- 4(क) अन्तशेष :-	2468134.21
अंतर :-	2282.60

ग्राम पंचायत नगरी कलूण्ड
वि०ख० भवारना (जिला कांगड़ा)

(परिशिष्ट "ख", पैरा संख्या "५.३" के संदर्भ में)

ग्राम पंचायत नगरी कलूण्ड द्वारा ई-ग्राम स्वराज में रोकड़ बही का अनियमित अद्यतन करने के कारण ई-ग्राम स्वराज में संधारित लेखों तथा हस्तलिखित लेखों के आंकड़ों में ₹11.97 लाख का अंतर

(क) ई ग्राम स्वराज में दर्ज वार्षिक प्राप्ति/व्यय व हस्तलिखित रोकड़ बही अनुसार वार्षिक प्राप्ति/व्यय में अंतर का विवरण (Except MNREGA)

क्र०सं०	वित्तीय वर्ष	प्राप्ति			भुगतान		
		ई-ग्राम स्वराज अनुसार राशि	रोकड़ बही अनुसार राशि	अंतर की राशि	ई-ग्राम स्वराज अनुसार राशि	रोकड़ बही अनुसार राशि	अंतर की राशि
1	2022-23	2783990.11	2714491.13	69498.98	1855670.42	1968791.42	113121.00
2	2023-24	1311459.00	2648931.00	1337472.00	1928241.00	2806390.70	878149.70

(ख) ई ग्राम स्वराज में दर्शाये गए बैंक शेष व हस्तगत नगद शेष तथा बैंक पास बुक अनुसार अंतशेष व हस्तगत नगद शेष में अंतर का विवरण (Except MNREGA)

क्र०सं०	वित्तीय वर्ष	ई-ग्राम स्वराज अनुसार बैंक शेष व हस्तगत नगद शेष	बैंक पास बुक अनुसार बैंक शेष व हस्तगत नगद शेष	अंतर
1	2023-24	3667473.69 + 200 (हस्तगत नगद) = 3667273.69	2470310.81 + 106 (हस्तगत नगद) = 2470416.81	₹ 11,97,256.88

नोट: वित्तीय वर्ष 2023-24 से अनुदान शीर्ष PMAGY का आय व्यय PFMS द्वारा किया जा रहा है।


नगर पंचायत
नगरी कलूण्ड
नगर पंचायत (नगरी कलूण्ड)

38

(परिशिष्ट " 3 " पैरा संख्या " 7 " में संदर्भ में)

कार्यालय ग्राम पंचायत नगरी कलूण्ड, वि०ख० भवारना, ज़िला कांगड़ा हि०प्र० 176059

दिनांक 31-03-2024 को ग्राम पंचायत में वसूली हेतु शेष सम्पत्ति कर/गृहकर:-

पंचायत क्षेत्र के निवासी परिवारों की कुल संख्या 2022-23 में 625 तथा 2023-24 में 630 परिवारों का ₹50/-
प्रति परिवार प्रतिवर्ष की दर से:-

वित्तीय वर्ष	अधशेष	परिवार	गृहकर वार्षिक दर	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2022-23	₹ 47,050.00	625	₹ 50.00	₹ 31,250.00	₹ 78,300.00	₹ 2,350.00	₹ 75,950.00
2023-24	₹ 75,950.00	630	₹ 50.00	₹ 31,500.00	₹ 1,07,450.00	₹ 25,940.00	₹ 81,510.00
नोट:- दिनांक 31.03.2024 को बकाया गृहकर की राशि ₹81,510/- है।							


पंचायत क्षेत्र
ग्राम पंचायत नगरी
कलूण्ड भवारना (कांगड़ा)

ग्राम पंचायत नगरी कलण्ड द्वारा आपूर्तिकर्ता से खनन सामग्री बिलों के साथ टांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या सप्लीमेंटी पास (फार्म-एक्स) सुनिश्चित न करने के कारण सरकार को राशी ₹0.61 लाख के राजस्व की सम्भावित वित्तीय हानि का विवरण

PMAGY										
क्र.सं.	आपूर्तिकर्ता	वा0 सं. / दिनांक	बिल सं. / दिनांक	मद का नाम	Qty (Feet)	Qty (Cum)	Determining Factor	Qty MT	Royalty (Per MT)	Due Royalty
1	अर्जुन चंद	01/21.05.22	115/15.05.22	रेत	400	11.33	1.62	18.35	80	1468.00
				क्रशर	34	32.56	1.52	49.49	80	3959.20
7	पारस इंटरप्राइज़	16/28.02.24	345/24.01.24	रेत	300	8.50	1.62	13.77	80	1101.60
				क्रशर	500	14.16	1.52	21.52	80	1721.60
				पत्थर	280	7.93	2.24	17.76	80	1420.80
मनरेगा										
3	अर्जुन चंद	Nil/21.05.22	001/02.04.22	रेत	280	7.93	1.62	12.85	80	1028.00
4	अर्जुन चंद	Nil/21.05.22	002/02.04.22	क्रशर	400	11.33	1.52	17.22	80	1377.60
5	अर्जुन चंद	Nil/21.05.22	004/10.04.22	रेत	280	7.93	1.62	12.85	80	1028.00
6	अर्जुन चंद	Nil/21.05.22	005/10.04.22	क्रशर	400	11.33	1.52	17.22	80	1377.60
7	अर्जुन चंद	Nil/21.05.22	007/10.04.22	रेत	450	12.74	1.62	20.64	80	1651.20
8	अर्जुन चंद	Nil/21.05.22	008/10.04.22	क्रशर	650	18.41	1.52	27.98	80	2238.40
9	अर्जुन चंद	Nil/21.05.22	010/10.04.22	क्रशर	300	8.50	1.52	12.92	80	1033.60
10	अर्जुन चंद	Nil/21.05.22	011/10.04.22	रेत	160	4.53	1.62	7.34	80	587.20
11	अर्जुन चंद	Nil/21.05.22	013/10.04.22	रेत	300	8.50	1.62	13.77	80	1101.60
12	अर्जुन चंद	Nil/21.05.22	014/10.04.22	क्रशर	500	14.16	1.52	21.52	80	1721.60
13	अर्जुन चंद	Nil/21.05.22	015/10.04.22	क्रशर	600	16.99	1.52	25.82	80	2065.60
14	अर्जुन चंद	Nil/21.05.22	017/10.04.22	रेत	250	7.08	1.62	11.47	80	917.60
15	अर्जुन चंद	Nil/21.05.22	019/10.04.22	रेत	200	5.66	1.62	9.17	80	733.60
16	अर्जुन चंद	Nil/21.05.22	020/10.04.22	क्रशर	200	5.66	1.52	8.60	80	688.00
17	अर्जुन चंद	Nil/21.05.22	021/10.04.22	क्रशर	400	11.33	1.52	17.22	80	1377.60
18	अर्जुन चंद	Nil/21.05.22	022/10.04.22	रेत	200	5.66	1.62	9.17	80	733.60
19	अर्जुन चंद	Nil/21.05.22	024/10.04.22	रेत	200	5.66	1.62	9.17	80	733.60
20	अर्जुन चंद	Nil/21.05.22	025/10.04.22	क्रशर	350	9.91	1.52	15.06	80	1204.80
21	अर्जुन चंद	Nil/21.05.22	027/10.04.22	क्रशर	200	5.66	1.52	8.60	80	688.00
22	अर्जुन चंद	Nil/21.05.22	028/10.04.22	रेत	120	3.40	1.62	5.51	80	440.80
23	पारस इंटरप्राइज़	Nil/29.02.24	313/17.12.23	क्रशर	120	3.40	1.52	5.17	80	413.60
24	पारस इंटरप्राइज़	Nil/29.02.24	314/17.12.23	रेत	100	2.83	1.62	4.58	80	366.40
25	पारस इंटरप्राइज़	Nil/29.02.24	315/17.12.23	क्रशर	800	22.66	1.52	34.44	80	2755.20
26	पारस इंटरप्राइज़	Nil/29.02.24	316/17.12.23	रेत	500	14.16	1.62	22.94	80	1835.20
27	पारस इंटरप्राइज़	Nil/29.02.24	317/17.12.23	क्रशर	400	11.33	1.52	17.22	80	1377.60
28	पारस इंटरप्राइज़	Nil/29.02.24	318/17.12.23	क्रशर	250	7.08	1.52	10.76	80	860.80
29	पारस इंटरप्राइज़	Nil/29.02.24	319/17.12.23	रेत	200	5.66	1.62	9.17	80	733.60
30	पारस इंटरप्राइज़	Nil/29.02.24	320/17.12.23	क्रशर	250	7.08	1.52	10.76	80	860.80
31	पारस इंटरप्राइज़	Nil/29.02.24	321/17.12.23	रेत	200	5.66	1.62	9.17	80	733.60
32	पारस इंटरप्राइज़	Nil/29.02.24	322/17.12.23	क्रशर	300	8.50	1.52	12.92	80	1033.60
33	पारस इंटरप्राइज़	Nil/29.02.24	323/17.12.23	रेत	200	5.66	1.62	9.17	80	733.60
34	पारस इंटरप्राइज़	Nil/29.02.24	324/17.12.23	क्रशर	200	5.66	1.52	8.60	80	688.00
35	पारस इंटरप्राइज़	Nil/29.02.24	325/17.12.23	रेत	400	11.33	1.62	18.35	80	1468.00
36	पारस इंटरप्राइज़	Nil/29.02.24	326/17.12.23	क्रशर	200	5.66	1.52	8.60	80	688.00
VKVNY										
37	पारस इंटरप्राइज़	50/12.02.24	377/06.12.23	रेत	400	11.33	1.62	18.35	80	1468.00
				क्रशर	200	5.66	1.52	8.60	80	688.00
Total										49103.20
Panelity @ 25 %										12275.80
कुल राशी										61379.00

(SANDER PRAWASTHA)
Technical Assistant
Dev. Block Buzbarsa

पंचायत नगरी
ग्राम पंचायत नगरी
विकास खण्ड भवार्ना (वि.प्र.)

परिशिष्ट " दृ " , पैरा संख्या " 8.2 " के सन्दर्भ में

ग्राम पंचायत नगरी कलूण्ड द्वारा औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना राशी ₹1.03 लाख की सामग्री/स्टॉक के क्रय का विवरण

समा निधि								
क्र.सं.	आपूर्तिकर्ता	वा.सं./दिनांक	बिल सं./दिनांक	मद का नाम	मात्रा	दर	राशी	टिप्पणी
1	विजय कुमार	05/25.05.22	1047/23.05.22	नेम प्लेट	7	350	2450.00	निवीदायें प्रस्तुत नहीं की गईं
2	विजय कुमार	06/25.05.22	1048/23.05.22	नेम प्लेट	11	350	3850.00	निवीदायें प्रस्तुत नहीं की गईं
मनरेगा								
3	NEVA Plantations LLP	Nil/21.05.2022	1054/29.01.22	पलम ग्राफटेड	15	150	2250.00	निवीदायें प्रस्तुत नहीं की गईं
				आड़	15	150	2250.00	
				नाशपत्ती	10	150	1500.00	
4	NEVA Plantations LLP	Nil/21.05.2022	1055/29.01.22	खुमानी	8	250	2000.00	निवीदायें प्रस्तुत नहीं की गईं
				बादाम	8	250	2000.00	
				पलम ग्राफटेड	1	250	250.00	
5	NEVA Plantations LLP	Nil/21.05.2022	1056/29.01.22	सेव	19	275	5225.00	निवीदायें प्रस्तुत नहीं की गईं
				कीवी	3	275	825.00	
6	NEVA Plantations LLP	Nil/21.05.2022	1057/29.01.22	सेव	15	275	4125.00	निवीदायें प्रस्तुत नहीं की गईं
				कीवी	2	275	550.00	
7	NEVA Plantations LLP	Nil/21.05.2022	1058/29.01.22	पलम ग्राफटेड	1	250	250.00	निवीदायें प्रस्तुत नहीं की गईं
				बादाम	8	250	2000.00	
				खुमानी	8	250	2000.00	
8	NEVA Plantations LLP	Nil/21.05.2022	1059/29.01.22	पलम ग्राफटेड	14	150	2100.00	निवीदायें प्रस्तुत नहीं की गईं
				आड़	13	150	1950.00	
				नाशपत्ती	10	150	1500.00	
9	NEVA Plantations LLP	Nil/29.02.24	38/09.12.23	नींबू	75	150	11250.00	निवीदायें प्रस्तुत नहीं की गईं
				संतरा	15	150	2250.00	
				माल्टा	16	150	2400.00	
				मौसम्बी	15	150	2250.00	
				गलगल	15	150	2250.00	
				अमरुद	15	150	2250.00	
				चंदन	12	150	1800.00	निवीदायें प्रस्तुत नहीं की गईं
10	NEVA Plantations LLP	Nil/29.02.24	39/09.12.23	नींबू	49	150	7350.00	
				संतरा	15	150	2250.00	
				माल्टा	15	150	2250.00	
				मौसम्बी	15	150	2250.00	
				गलगल	15	150	2250.00	
				अमरुद	15	150	2250.00	निवीदायें प्रस्तुत नहीं की गईं
				चंदन	12	150	1800.00	
11	NEVA Plantations LLP	Nil/29.02.24	42/09.12.23	नींबू	56	150	8400.00	
				संतरा	15	150	2250.00	
				माल्टा	15	150	2250.00	
				मौसम्बी	15	150	2250.00	
				गलगल	15	150	2250.00	
				अमरुद	15	150	2250.00	
				चंदन	12	150	1800.00	
				कुल योग			103375.00	

(SANDEEP PAWASBI)
Technical Assistant
Dev. Block Bhawarnagar

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत कलूण्ड
तहसील कलूण्ड जिला पंचायत (हि.प्र.)

ग्राम पंचायत नगरी कलूण्ड द्वारा क्रय किये गये सामग्री का विवरण जिसका स्टॉक रजिस्टर में लेखांकन नहीं किया गया है

मनरेगा							
क्र.सं.	आपूर्तिकर्ता	वा.सं./दिनांक	बिल सं./दिनांक	मद का नाम	मात्रा	दर	भुगतान की गई राशी
1	अर्जुन चंद	Nil/21.05.22	001/02.04.22	रेत	280	₹ 45.00	₹ 12,600.00
2	अर्जुन चंद	Nil/21.05.22	002/02.04.22	क्रशर	400	₹ 40.00	₹ 16,000.00
3	अर्जुन चंद	Nil/21.05.22	004/10.04.22	रेत	280	₹ 45.00	₹ 12,600.00
4	अर्जुन चंद	Nil/21.05.22	005/10.04.22	क्रशर	400	₹ 40.00	₹ 16,000.00
5	अर्जुन चंद	Nil/21.05.22	007/10.04.22	रेत	450	₹ 45.00	₹ 20,250.00
6	अर्जुन चंद	Nil/21.05.22	008/10.04.22	क्रशर	650	₹ 40.00	₹ 26,000.00
7	अर्जुन चंद	Nil/21.05.22	010/10.04.22	क्रशर	300	₹ 40.00	₹ 12,000.00
8	अर्जुन चंद	Nil/21.05.22	011/10.04.22	रेत	160	₹ 45.00	₹ 7,200.00
9	अर्जुन चंद	Nil/21.05.22	013/10.04.22	रेत	300	₹ 45.00	₹ 13,500.00
10	अर्जुन चंद	Nil/21.05.22	014/10.04.22	क्रशर	500	₹ 40.00	₹ 20,000.00
11	अर्जुन चंद	Nil/21.05.22	015/10.04.22	क्रशर	600	₹ 40.00	₹ 24,000.00
12	अर्जुन चंद	Nil/21.05.22	016/10.04.22	ईट	4000	₹ 9.00	₹ 36,000.00
13	अर्जुन चंद	Nil/21.05.22	017/10.04.22	रेत	250	₹ 45.00	₹ 11,250.00
14	अर्जुन चंद	Nil/21.05.22	018/10.04.22	ईट	2000	₹ 9.00	₹ 18,000.00
15	अर्जुन चंद	Nil/21.05.22	019/10.04.22	रेत	200	₹ 45.00	₹ 9,000.00
16	अर्जुन चंद	Nil/21.05.22	020/10.04.22	क्रशर	200	₹ 40.00	₹ 8,000.00
17	अर्जुन चंद	Nil/21.05.22	021/10.04.22	क्रशर	400	₹ 40.00	₹ 16,000.00
18	अर्जुन चंद	Nil/21.05.22	022/10.04.22	रेत	200	₹ 45.00	₹ 9,000.00
19	अर्जुन चंद	Nil/21.05.22	024/10.04.22	रेत	200	₹ 45.00	₹ 9,000.00
20	अर्जुन चंद	Nil/21.05.22	025/10.04.22	क्रशर	350	₹ 40.00	₹ 14,000.00
21	अर्जुन चंद	Nil/21.05.22	027/10.04.22	क्रशर	200	₹ 40.00	₹ 8,000.00
22	अर्जुन चंद	Nil/21.05.22	028/10.04.22	रेत	120	₹ 45.00	₹ 5,400.00
23	HPCSCL शिमला	Nil/21.05.22	10328/10.04.22	सीमेंट	70	₹ 329.47	₹ 23,062.90
24	HPCSCL शिमला	Nil/21.05.22	10325/10.04.22	सीमेंट	55	₹ 329.47	₹ 18,120.85
25	HPCSCL शिमला	Nil/21.05.22	10326/10.04.22	सीमेंट	50	₹ 329.47	₹ 16,473.50
26	HPCSCL शिमला	Nil/21.05.22	10331/10.04.22	सीमेंट	60	₹ 329.47	₹ 19,768.20
27	HPCSCL शिमला	Nil/21.05.22	10261/10.04.22	सीमेंट	38	₹ 329.47	₹ 12,519.86
28	HPCSCL शिमला	Nil/21.05.22	10327/10.04.22	सीमेंट	50	₹ 329.47	₹ 16,473.50
29	विजय कुमार	Nil/29.02.24	1490/08.12.23	सीमेंट बोर्ड	1	₹ 3,000.00	₹ 3,000.00
30	विजय कुमार	Nil/29.02.24	1491/08.12.23	सीमेंट बोर्ड	1	₹ 3,000.00	₹ 3,000.00
31	विजय कुमार	Nil/29.02.24	1493/08.12.23	सीमेंट बोर्ड	1	₹ 3,000.00	₹ 3,000.00
32	विजय कुमार	Nil/29.02.24	1494/08.12.23	सीमेंट बोर्ड	1	₹ 3,000.00	₹ 3,000.00
33	विजय कुमार	Nil/29.02.24	1495/08.12.23	सीमेंट बोर्ड	1	₹ 3,000.00	₹ 3,000.00
34	विजय कुमार	Nil/29.02.24	1496/08.12.23	सीमेंट बोर्ड	1	₹ 3,000.00	₹ 3,000.00
35	विजय कुमार	Nil/29.02.24	1497/08.12.23	सीमेंट बोर्ड	1	₹ 3,000.00	₹ 3,000.00
36	विजय कुमार	Nil/29.02.24	1499/08.12.23	सीमेंट बोर्ड	1	₹ 3,000.00	₹ 3,000.00
37	पारस इंटरप्राइज़	Nil/29.02.24	313/17.12.23	क्रशर	120	₹ 44.00	₹ 5,280.00
38	पारस इंटरप्राइज़	Nil/29.02.24	314/17.12.23	रेत	100	₹ 59.00	₹ 5,900.00
39	पारस इंटरप्राइज़	Nil/29.02.24	315/17.12.23	क्रशर	800	₹ 44.00	₹ 35,200.00
40	पारस इंटरप्राइज़	Nil/29.02.24	316/17.12.23	रेत	500	₹ 59.00	₹ 29,500.00

41	पारस इंटरप्राइज़	Nil/29.02.24	317/17.12.23	क्रशर	400	₹ 44.00	₹ 17,600.00
42	पारस इंटरप्राइज़	Nil/29.02.24	318/17.12.23	क्रशर	250	₹ 44.00	₹ 11,000.00
43	पारस इंटरप्राइज़	Nil/29.02.24	319/17.12.23	रेत	200	₹ 59.00	₹ 11,800.00
44	पारस इंटरप्राइज़	Nil/29.02.24	320/17.12.23	क्रशर	250	₹ 44.00	₹ 11,000.00
45	पारस इंटरप्राइज़	Nil/29.02.24	321/17.12.23	रेत	200	₹ 59.00	₹ 11,800.00
46	पारस इंटरप्राइज़	Nil/29.02.24	322/17.12.23	क्रशर	300	₹ 44.00	₹ 13,200.00
47	पारस इंटरप्राइज़	Nil/29.02.24	323/17.12.23	रेत	200	₹ 59.00	₹ 11,800.00
48	पारस इंटरप्राइज़	Nil/29.02.24	324/17.12.23	क्रशर	200	₹ 44.00	₹ 8,800.00
49	पारस इंटरप्राइज़	Nil/29.02.24	325/17.12.23	रेत	400	₹ 59.00	₹ 23,600.00
50	पारस इंटरप्राइज़	Nil/29.02.24	326/17.12.23	क्रशर	200	₹ 44.00	₹ 8,800.00
51	NEVA Plantations LLP	Nil/21.05.2022	1054/29.01.22	पलम ग्राफटेड	15	₹ 150.00	₹ 2,250.00
				आड़ू	15	₹ 150.00	₹ 2,250.00
				नाशपती	10	₹ 150.00	₹ 1,500.00
52	NEVA Plantations LLP	Nil/21.05.2022	1055/29.01.22	खुमानी	8	₹ 250.00	₹ 2,000.00
				बादाम	8	₹ 250.00	₹ 2,000.00
				पलम ग्राफटेड	1	₹ 250.00	₹ 250.00
53	NEVA Plantations LLP	Nil/21.05.2022	1056/29.01.22	सेव	19	₹ 275.00	₹ 5,225.00
				कीवी	3	₹ 275.00	₹ 825.00
54	NEVA Plantations LLP	Nil/21.05.2022	1057/29.01.22	सेव	15	₹ 275.00	₹ 4,125.00
				कीवी	2	₹ 275.00	₹ 550.00
55	NEVA Plantations LLP	Nil/21.05.2022	1058/29.01.22	पलम ग्राफटेड	1	₹ 250.00	₹ 250.00
				बादाम	8	₹ 250.00	₹ 2,000.00
				खुमानी	8	₹ 250.00	₹ 2,000.00
56	NEVA Plantations LLP	Nil/21.05.2022	1059/29.01.22	पलम ग्राफटेड	14	₹ 150.00	₹ 2,100.00
				आड़ू	13	₹ 150.00	₹ 1,950.00
				नाशपती	10	₹ 150.00	₹ 1,500.00
57	NEVA Plantations LLP	Nil/29.02.24	38/09.12.23	नींबू	75	₹ 150.00	₹ 11,250.00
				संतरा	15	₹ 150.00	₹ 2,250.00
				माल्टा	16	₹ 150.00	₹ 2,400.00
				मौसम्बी	15	₹ 150.00	₹ 2,250.00
				गलगल	15	₹ 150.00	₹ 2,250.00
				अमरुद	15	₹ 150.00	₹ 2,250.00
				चंदन	12	₹ 150.00	₹ 1,800.00
58	NEVA Plantations LLP	Nil/29.02.24	39/09.12.23	नींबू	49	₹ 150.00	₹ 7,350.00
				संतरा	15	₹ 150.00	₹ 2,250.00
				माल्टा	15	₹ 150.00	₹ 2,250.00
				मौसम्बी	15	₹ 150.00	₹ 2,250.00
				गलगल	15	₹ 150.00	₹ 2,250.00
				अमरुद	15	₹ 150.00	₹ 2,250.00
				चंदन	12	₹ 150.00	₹ 1,800.00
59	NEVA Plantations LLP	Nil/29.02.24	42/09.12.23	नींबू	56	₹ 150.00	₹ 8,400.00
				संतरा	15	₹ 150.00	₹ 2,250.00
				माल्टा	15	₹ 150.00	₹ 2,250.00
				मौसम्बी	15	₹ 150.00	₹ 2,250.00
				गलगल	15	₹ 150.00	₹ 2,250.00
				अमरुद	15	₹ 150.00	₹ 2,250.00
				चंदन	12	₹ 150.00	₹ 1,800.00
						कुल योग	₹ 7,56,573.81

(SANDIP PANDHAR) Technical Assistant
Dev. Block Bhawana

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत नगरी/पुनर्विकास
विकास खण्ड धनबाद (विभाग)

निर्माण कार्य के लिये सामग्री खरीद हेतु राशि ₹1724.00 के अनियमित भुगतान का विवरण

कार्य का नाम :			निर्माण कार्य चेक डैम बार्ड नं 3				
कार्य परिसंपत्ति संख्या:			1304002080/WC/8000103393				
अनुदान :			मन्तरेगा				
कुल व्यय राशि :			1,11,401.20				
एम० वी० संख्या / पृष्ठ संख्या			12441 / 91 से 92				
विल संख्या/दिनांक			001 / 02.04.2022				
आपूर्तिकर्ता			अर्जुन चंद				
वाउचर संख्या/दिनांक			Nil / 21.05.2022				
क्र०	सामग्री का नाम	क्रय की गयी सामग्री	मापन पुस्तिका अनुसार निष्पादित सामग्री की मात्रा	वास्तविक निष्पादित सामग्री की मात्रा	अन्तर	दर	राशी
1.	रेत	280 cft	280 cft	241.69 cft	38.31 cft	₹45.00	₹1724.00

$$PL CC (1:3:6) 14.56 M^3 = 14.56 \times 16.60 (\text{Sand Factor}) = 241.69 \text{ cft}$$


 S.A.
 SANDEEP AWASTHI
 TECH. ASST. G.P. KALSON


 सहायक सचिव
 पंचायत समिति
 गण्डा
 जिला बल्लभपुर (दिल्ली)

निर्माण कार्य के लिये सामग्री खरीद हेतु राशि ₹4657.35 के अनियमित भुगतान का विवरण

कार्य का नाम :	निर्माण कार्य नाली राजकीय प्राथमिक पाठशाला कलूण्ड						
कार्य परिसंपत्ति संख्या:	1304002080/CA/52982						
अनुदान :	मनरेगा						
कुल व्यय राशि :	₹46,630.86						
एम० बी० संख्या / पृष्ठ संख्या	12441 / 60 से 61						
विल संख्या/दिनांक	010 / 10.04.2022 (बजरी) 011 / 10.04.2022 (रेत) 010261 / 10.04.2022 (सीमेंट)						
आपूर्तिकर्ता	अर्जुन चंद व HPCSCS शिमला						
वाउचर संख्या/दिनांक	Nil / 21.05.2022						
क्र०	सामग्री का नाम	क्रय की गयी सामग्री	मापन पुस्तिका अनुसार निष्पादित सामग्री की मात्रा	वास्तविक निष्पादित सामग्री की मात्रा	अन्तर	दर	राशी
1.	रेत	160 cft	160 cft	134 cft	26 cft	₹45.00	₹1170.00
2.	बजरी	300 cft	300 cft	254 cft	46 cft	₹40.00	₹1840.00
3.	सीमेंट	38 बैग	38 बैग	33 बैग	05 बैग	₹329.47	₹1647.35
कुल योग							₹ 4657.35

PL CC (1:4:8) $2.85M^3 = 2.85 \times 0.47 \times 35.31$ (Sand Factor) = 47.29cft

PL CC (1:3:6) $5.22M^3 = 5.22 \times 0.47 \times 35.31$ (Sand Factor) = 86.62cft

Total (Round Off) = 134 cft

PL CC (1:4:8) $2.85M^3 = 2.85 \times 0.89 \times 35.31$ (Bajri Factor) = 89.56cft

PL CC (1:3:6) $5.22M^3 = 5.22 \times 0.89 \times 35.31$ (Bajri Factor) = 164.04cft

Total (Round Off) = 254 cft

PL CC (1:4:8) $2.85M^3 = 2.85 \times 3.40$ (Cement Factor) = 9.69 bag

PL CC (1:3:6) $5.22M^3 = 5.22 \times 4.40$ (Cement Factor) = 22.96 bag

Total (Round Off) = 33 bag

Technical Assistant
Dev. Block Bhawana
(SANDEEPANWASTH)
G.P. KALUND

प्रकाशित संकेत
प्रकाशित नगरपालिका
विकास खण्ड प्रमुख (डिप्टी)

37

(परिशिष्ट " ट " , पैरा संख्या " 10.1 " के संदर्भ में)

मनरेगा के अंतर्गत निर्माण कार्यों के राशि ₹1.89 लाख के मस्टर रोलों का निर्माण एवं सतर्कता कमेटी द्वारा सत्यापन न करना और बिना संयुक्त हस्ताक्षरित अदायगी आदेश के मस्टर रोल का भुगतान का विवरण

क्र० सं०	कार्य का नाम	मस्टर रोल संख्या	वा० सं०/ दिनांक	भुगतान की गई राशि
1	जीर्णोद्धार व अपवर्धन सामुदायिक भवन राजकीय प्राथमिक पाठशाला नगरी कलूण्ड	192	Nil/05.05.2022	₹ 796.00
2	अपवर्धन कूहल काका राम के घर से हरवंश की जमीन तक	193	Nil/05.05.2022	₹ 14,800.00
		194	Nil/05.05.2022	₹ 7,600.00
		550	Nil/05.05.2022	₹ 18,000.00
		551	Nil/05.05.2022	₹ 4,000.00
3	अपवर्धन कूहल मनोहर लाल की जमीन से राजिंदर पाल की जमीन तक	195	Nil/05.05.2022	₹ 20,880.00
		196	Nil/05.05.2022	₹ 2,160.00
		552	Nil/18 .05.2022	₹ 17,910.00
		553	Nil/18 .05.2022	₹ 10,149.00
4	निर्माण कार्य गौशाला सीता राम की जमीन पर	197	Nil/05.05.2022	₹ 6,000.00
		554	Nil/18 .05.2022	₹ 3,960.00
5	निर्माण कार्य गौशाला अमन कुमार की जमीन पर	198	Nil/05.05.2022	₹ 10,400.00
6	निर्माण कार्य गौशाला राजमल की जमीन पर	199	Nil/05.05.2022	₹ 6,000.00
		556	Nil/18 .05.2022	₹ 6,600.00
7	निर्माण कार्य PMAGY घर संख्या HP 139122345	201	Nil/05.05.2022	₹ 6,475.00
8	निर्माण कार्य बांध नाले पर वार्ड नं 3	202	Nil/05.05.2022	₹ 10,800.00
9	पौधारोपण नरिंदर कुमार व सुरिंदर कुमार की जमीन पर	4084	NIL/06.02.2024	₹ 11,236.00
10	अपवर्धन बटुल कूहल वार्ड नं 1	4085	NIL/06.02.2024	₹ 1,010.00
		4086	NIL/06.02.2024	₹ 505.00
11	अपवर्धन कूहल सतगुरु से ब्रह्मा नन्द के घर तक वार्ड नं 3	4087	NIL/06.02.2024	₹ 8,056.00
		4088	NIL/06.02.2024	₹ 1,696.00
12	अपवर्धन कूहल फौदी राम के घर से प्यार चंद के घर तक वार्ड नं 6	4089	NIL/06.02.2024	₹ 9,964.00
13	निर्माण कार्य पानी एकत्रीकरण टैंक मिनाक्षी देवी वार्ड नं 1	4427	NIL/06.02.2024	₹ 10,176.00
			कुल जोड़	₹ 1,89,173.00

(SANDHEEP AWASTHI)
Technical Assistant
Dist. Block Bhawana

प्रमाणित किया
ग्राम सभायत नगरी अमन
विभागाध्यक्ष भवना (मिनाक्षी)